न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रकरण संख्या 07/20 दायरा दिनांक 20.07.2020

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

माफी पीर जमाल हक्कानी जी विराजमान किला कृपालपुर शाहावाद जर्ये माफीदार शहजाद अलि, मुबारिक अलि पुत्रगण काले खां उर्फ कल्लू जाति मुसलमान निवासी शाहावाद तह. शाहावाद जिला बारां राजस्थान

–प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार शाहावाद जिला बांरा राजस्थान
2. गंगाराम पुत्र देवलाल जाति सहरिया निवासी तेलनी तहसील शाहावाद जिला बारां राजस्थान
3. कालू पुत्र सुक्खा जाति सहरिया निवासी सालेरी तहसील शाहावाद
4. कन्हई पुत्र तोतू ताति सहरिया निवासी तेलनी तहसील शाहावाद
5. गजिया पुत्र तोतू पत्नि सुखदेव जाति सहरिया निवासी शाहपुर सहराना बस्ती मुण्डियर तहसील शाहावाद जिला बारां राज.

–अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 136 आर.एल.आर.एक्ट

निर्णय दिनांक – 27.05.2024

उपस्थित– प्रार्थीगण की ओर से – श्री वीरेन्द्र अग्रवाल एडवोकेट
अप्रार्थी कम 2,4,5 की ओर से – श्री प्रकाशचन्द नामदेव एडवोकेट
अप्रार्थी कम 3 की ओर से – एकपक्षीय

प्रार्थनापत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम तेलनी तहसील शाहावाद के खाता संख्या 226 में आराजी ख.नं. 237 रकबा 13.11 बीघा, खाता संख्या 227 में आराजी ख.नं. 231/430 रकबा 5.05 बीघा एवं खाता संख्या 225 में ख.नं. 230 रकबा 4.17 बीघा स्थित है, जिसे विवादित आराजी के नाम से संबोधित किया गया है। विवादित आराजी माफी पीर जमाल हक्कानी जी विराजमान किला कृपालपुर शाहावाद के नाम की है जो राज. वक्फ बोर्ड में दर्ज वक्फ प्रोपर्टी है। प्रार्थीगण के दादाजी काले खां उर्फ कल्लू पुत्र छुट्टा थे जिनका विवादित आराजीयात पर बहैसियत माफीदार कब्जा काश्त था, उनकी मृत्यु के उपरांत प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है। तहसील शाहावाद में सम्वत 2016 से 2020 तक अंतिम बार सैटलमेन्ट चला विवादित आराजी के उक्त ख.नं. सेटलमेन्ट के बाद के हैं, सेटलमेन्ट से पूर्व उक्त आराजीयात के ख.नं. 244,250,251 कुल 27.15 बीघा रहा है, जिसमें से ग्राम तेलनी के खाता संख्या 228 वर्तमान ख.नं. 218 की 4.02 बीघा भूमि आज भी प्रार्थीगण के खाते बहैसियत माफीदार दर्ज है, लेकिन सेटलमेन्ट के दौरान सेटलमेन्ट जमाबंदी में भोक्ता बाले कालम में तो सही प्रविष्टि की है, लेकिन सेटलमेन्ट कर्मियों ने बिना किसी आदेश के अवैधानिक तौर पर विवादित आराजी जो माफी की थी में से

27.05.2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद

ख.नं. 237 रकबा 13.11 बीघा सेटलमेन्ट जमाबंदी के कालम कम 5 में कृषक के रूप में देवीलाल पुत्र कल्लू का नाम दर्ज कर दिया, इसी तरह खाता संख्या 227 के ख.नं. 231/430 रकबा 5.05 बीघा में अमरा पुत्र सूखा सहर का नाम दर्ज कर दिया एवं खाता संख्या 225 के ख.नं. 230 रकबा 4.17 बीघा में तोतू पुत्र लालहंस सहर का नाम दर्ज कर दिया, जबकि विवादित आराजी में इनका कोई हकाधिकार नहीं रहा है। राजस्व कर्मियों ने आगे रोटेशन जमाबंदी बनाते वक्त खाते में से प्रार्थीगण का नाम हटाकर इनका नाम दर्ज कर दिया। उपरोक्त देवीलाल पुत्र कल्लू का देहान्त हो चुका है जिसका प्रार्थी कम 2 वारिस है, अमरा पुत्र सूखा का देहान्त हो चुका है जिसका अप्रार्थी कम 3 वारिस है इसी तरह तोतू पुत्र लालहंस का देहान्त हो चुका है और अप्रार्थी कम 4 व 5 उसके वारिस हैं। विवादित आराजीयात में जमाबंदी के कालम संख्या 5 में की गई प्रविष्टि अशुद्व है जिसे प्रार्थीगण सही कराने के हकदार हैं। विवादित आराजीयात में से अप्रार्थीगण के नाम हटाये जाकर प्रार्थीगण अपने नाम दर्ज करा पा सकने के हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थनापत्र स्वीकार कर ग्राम तेलनी तहसील शाहावाद के खाता संख्या 226 में आराजी ख.नं. 237 रकबा 13.11 बीघा, खाता संख्या 227 में आराजी ख.नं. 231/430 रकबा 5.05 बीघा एवं खाता संख्या 225 में ख.नं. 230 रकबा 4.17 बीघा से अप्रार्थीगण के नाम हटाये जाकर प्रार्थीगण के नाम दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी कम 3 के विरूद्व बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुनवाई की गई। अप्रार्थी कम 2,4,5 की ओर से जबाव पेश कर कथन किया गया कि कि उक्त आराजी ख. सं. 237 रकबा 13.11 बीघा देवलाल पुत्र कल्लू के खाते की रही है, जो अपने जीवनकाल तक उक्त आराजी पर काबिज काश्त रहे और उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थी कम 2 का कब्जा चला आ रहा है। इसी प्रकार आराजी ख.सं. 230 रकबा 4.17 बीघा तांतू पुत्र लालहंस सहरिया निवासी तेलनी के खाते की थी, जिस पर वे जीवन पर्यन्त काबिज काश्त रहे और इनके फोत होने के बाद अप्रार्थी कम 4 व 5 निरंतर काबिज काश्त रहे हैं, जिन्हे 50 वर्ष हो जाने से स्वतः ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। प्रार्थीगण का आज तक कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है, प्रार्थनापत्र मियाद बाहर होने से पर अप्रार्थीगण विगत 50 वर्षों से वहैसियत खातेदार काबिज काश्त हैं।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी का कथन रहा है कि ग्राम तेलनी तहसील शाहावाद स्थित वर्तमान में दर्ज आराजी ख.नं. 237 रकबा 13.11 बीघा, ख.नं. 231/430 रकबा 5.05 बीघा व ख.नं. 230 रकबा 4.17 बीघा भूमि माफी पीर जमाल हक्कानी जी विराजमान किला कृपालपुर शाहावाद के नाम की है, जो राज. वक्फ बोर्ड में दर्ज वक्फ प्रोपर्टी है, जिस पर प्रार्थीगण के दादाजी काले खां उर्फ कल्लू पुत्र छुट्टा

27.05.2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

CamScanner

बहेसियत माफीदार काबिज रहे हैं, सेटलमेंट से पूर्व उक्त आराजीयात के ख.नं. 244, 250, 251 तथा कुल रकबा 27.15 बीघा रहा है, सेटलमेन्ट अथार्टी ने भोक्ता बाले कालम में तो सही प्रविष्टि की है लेकिन अवैधानिक तौर पर विवादित आराजी जो माफी की थी में से ख.नं. 237 रकबा 13.11 बीघा सेटलमेन्ट जमाबंदी के कालम कम 5 में कृषक के रूप में देवीलाल पुत्र कल्लू का नाम, खाता संख्या 227 के ख.नं. 231/430 रकबा 5.05 बीघा में अमरा पुत्र सूखा सहर का नाम तथा खाता संख्या 225 के ख.नं. 230 रकबा 4.17 बीघा में तोतू पुत्र लालहंस सहर का नाम दर्ज कर दिया, जबकि विवादित आराजी में इनका कोई हकाधिकार नहीं रहा है। इसके विपरीत अप्रार्थीगण ने कथन किया कि उनके पूर्वज उक्त आराजी पर बतौर खातेदार काबिज काश्त रहे हैं और उनकी मृत्यु के बाद अप्रार्थीगण काबिज काश्त हैं, जिन्हे काश्त करते हुये 50 वर्ष हो चुके हैं और वे स्वतः ही खातेदार हो चुके हैं।

पत्रावली पर मौजूद रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम पाते हैं कि संलग्न जमाबंदी 2001 से 2004 में आराजी ख.नं. 244, 250, 251 किता 3 रकबा 27.15 बीघा मौजा तेलनी निजामत शाहावाद में माफी पीर जमाल हक्कानी जी विराजमान किला कृपालपुर व कब्जा काले खां बेटा छुट्टा का, फजलुद्वीन बेटा रहीमुद्वीन का जात मुसलमान वास शाहावाद तथा काले खां नाबालिग बली फजलुद्वीन बांट बराबर से खाता दर्ज रहा है और संलग्न जमाबंदी भू–प्रबन्ध (सेटलमेन्ट) विभाग, राजस्थान राज्य सम्वत 2020 से 2039 के कॉलम नंबर 5 में अमरा बल्द सूखा कौम सहर सा. निध मुद्वत 4 साल, तांतू बल्द लालहंस कोम सहर सा. निध मुद्वत 4 साल तथा देवीलाल बल्द कल्लू कोम सहर सा. निध मु. 4 साल का इन्द्राज दर्ज किया गया है। न्यायालय के मत में माफी पीर जमाल हक्कानी जी विराजमान किला कृपालपुर के खाते दर्ज रही उक्त आराजीयात को मुद्वत (अवधि) 4 साल के लिये उपरोक्त अमरा तांतू व देवीलाल को काश्त हेतु दिया गया था, जिसका इन्द्राज सेटलमेन्ट जमाबंदी 2020 से 2039 में दर्ज कर दिया गया और बाद में इस इन्द्राज की आढ में उक्त अमरा तांतू व देवीलाल माफी पीर जमाल हक्कानी जी विराजमान किला कृपालपुर के खाते की आराजी के खातेदार बन वैठे जो किसी भी प्रकार से न्यायोचित प्रतीत नहीं होता हैं, जबकि वर्तमान जमाबंदी में आज भी माफी दरगाह पीर जमाल का इन्द्राज बदस्तूर है। इस प्रकार उक्त आराजी माफी पीर जमाल हक्कानी जी विराजमान किला कृपालपुर के खाते की होना साबित है और प्रार्थीगण उक्त आराजी के सेटलमेन्ट पूर्व के दर्ज कब्जाधारी काले खां उर्फ कल्लू पुत्र छुट्टा के वारिसान की हैसियत से बतौर कब्जाधारी अपना नाम दर्ज कराने के वैध हकदार पाये जाते हैं।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजसथान भू–राजस्व अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहावाद को आदेशित किया जाता है कि ग्राम तेलनी तहसील शाहावाद स्थित आराजी खाता संख्या

27.05.2024
उपखण्ड अधिकारी
शाहबाद

CamScanner

225 ख.नं. 230 रकबा 4.17 बीघा से अप्रार्थी कम 4 व 5 का नाम, खाता संख्या 226 ख.नं. 237 रकबा 13.11 बीघा से देवलाल पुत्र कल्ला सहरिया का नाम एवं खाता संख्या 227 ख.नं. 231/430 रकबा 5.05 बीघा से अमरा पुत्र सुक्खा सहरिया का नाम खाते से हटाकर माफी पीर जमाल हक्कानी जी विराजमान किला कृपालपुर बतौर कब्जाधारी शहजाद अलि, मुबारिक अलि पुत्रगण काले खां उर्फ कल्लू जाति मुसलमान निवासी शाहावाद के नाम दर्ज करें। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 27.05.2024 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

27.05.2024

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
शाहाबाद

CamScanner